

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन, एन.एच. बाई पास,
पालारिवट्टम पी.ओ., कोच्ची - 682025
☎रभाष: 0484-2333610 से 616 तक, 2347965

मिसिल सं. प्रशासन/नियुक्ति/02/2020-21-भाग (1)
अधिसूचना सं. 50/2024

स्पाइसेस बोर्ड में लिपिकीय सहायक के रूप में संविदा आधार पर सेवानिवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति

स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय, कोच्ची और इसके मुंबई के प्रादेशिक कार्यालय में संविदा आधार पर एक वर्ष की अवधि या 65 वर्ष का आयु, जो भी पहले हो, के लिए लिपिकीय सहायक के रूप में सेवा करने हेतु स्पाइसेस बोर्ड सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, जिन्होंने केन्द्रीय/राज्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त निकाय/वस्तु बोर्डों में सेवा की हए उनसे आवेदन आमंत्रित करता हए। नियुक्ति के विस्तृत निबंधन व शर्तें संलग्नक-1 के रूप में संलग्न हए। पात्रता मानदंड और अन्य विवरण निम्नानुसार हए

अनुसचिवीय कर्मचारी वर्ग

1	कार्यालयवार आवश्यकताएँ/कार्यस्थल	कार्यालय का नाम	अनुमानित अपेक्षा
		मुख्यालय, कोच्ची	छह (1) अंक
		प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई	एक (1) अंक
2	पात्रता	1. उसे केंद्र/राज्य सरकार विभागों/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त निकाय/ अधिमानतः पण्य बोर्डों से सेवानिवृत्त कर्मचारी होना चाहिए जिसे लिपिकीय कार्य करने में विचारणीय अनुभव हो। 2. उसके पास प्रभावी अभिव्यक्ति कुशलता और पारस्परिक कौशल होना चाहिए। 3. उसे एमएस ऑफिस / ओपन ऑफिस, ईमेल और इंटरनेट के साथ कंप्यूटर का उपयोग करने में अनुभव होना चाहिए।	
3	शक्षिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि (नियमित पाठ्यक्रम)	
4	आयु सीमा	64 वर्ष से कम।	

चयन प्रक्रिया: शोर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को बोर्ड द्वारा संबंधित स्थानों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को शामिल करते हुए एक पञ्चल तयार किया जाएगा और बोर्ड की अपेक्षानुसार लिपिकीय सहायक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक कार्यालय के लिए अलग-अलग पञ्चल/रैंक सूची बनाई जाएगी और पञ्चल की वृद्धता दो वर्ष होगी और अतिरिक्त अपेक्षित लिपिकीय सहायकों को इस अनुमोदित पञ्चल से नियुक्त किया जाएगा। इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनके पास उपर्युक्त योग्यता व अनुभव हैं और जो स्वस्थ और तुरंत कार्यभार ग्रहण करने के लिए तयार हैं, वे, अपना आवेदन 04 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले दी गई प्रारूप (प्रारूप संलग्नक-II के रूप में संलग्न हए) में योग्यता और अनुभव के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ ईमेल आईडी hrd.sb-ker@gov.in पर प्रस्तुत करें। आवेदन की हार्डकॉपी सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची के पते पर 11 अक्टूबर 2024 तक या उससे पहले पहुंचना चाहिए।

निदेशक (प्रशासन)

तारीख: 09.09.2024

उम्मीदवारों के लिए अनुदेश:

- आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उपरोक्त पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- उम्मीदवारों को आवेदन एक पीडीएफ संलग्नक के रूप में निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत करना होगा क) संलग्नक-II ख) शैक्षिक योग्यता (कालानुक्रमिक क्रम में) ग) पहचान प्रमाण घ) अनुभव प्रमाणपत्र ङ) प्रासंगिक दस्तावेज, यदि कोई हो तो।
- निर्दिष्ट प्रारूप में, यानी सहायक दस्तावेजों के साथ अधिसूचना के संलग्नक-II के अनुसार प्राप्त न किए जाने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- साक्षात्कार के लिए शोर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची बोर्ड की वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी। साक्षात्कार का स्थान और तारीख यथासमय सूचित की जाएगी।
- प्रत्येक कार्यालय के लिए अलग-अलग शोर्टलिस्ट/रैंक सूची तयार किया जाएगा और तदनुसार चयन किया जाएगा। इसलिए आवेदक नियुक्ति का स्थान सावधानीपूर्वक चुनना चाहिए। एक बार चयन करने के बाद, बदला नहीं जा सकता।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्पाइसेस बोर्ड से सूचना प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल आई डी एवं मेबाइल नंबर सक्रिय रखें।

- यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य (तथ्यों) को छुपाया है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। यदि चयन के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
- किसी भी तरह का अनुयाचन अयोग्यता होगी।
- आयु, योग्यता आदि के संबंध में आवेदकों की पात्रता आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- उम्मीदवारों को, अद्यतन सूचना हेतु बोर्ड की औद्योगिक वेबसाइट www.indianspices.com में सूचना/अवसर पेज जाँच करने और किसी तीसरी पार्टी की वेबसाइट पर भरोसा न करने की सलाह दी जाती है।

स्पाइसेस बोर्ड में लिपिकीय सहायक की नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तें

1. लिपिकीय सहायक को देय पारिश्रमिक प्रति माह 25,000/- रुपए (नियत) होंगे। लिपिकीय सहायक द्वारा आहरित कुल मासिक पारिश्रमिक और पेंशन उनके द्वारा ली गई अंतिम वेतन, जिसकी गणना महंगाई भत्ते की वर्तमान दरों पर की गई हो, से अधिक नहीं होंगे।
2. एक महीने में प्रदान की गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक उत्तरवर्ती महीने में देय होगा।
3. नियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी और उनके निष्पादन के आधार पर अपेक्षा के अनुसार आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।
4. लिपिकीय सहायक, महंगाई भत्ता, परिवहन सुविधा, आवासीय व्यवस्था, निजी स्टाफ, सीजीएचएस तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जल्द किसी भी प्रकार के भत्ते या आवास-सुविधा प्राप्त होने के हकदार नहीं होंगे।
5. साक्षात्कार, कार्य में शामिल होने या इसके पूरा होने के लिए कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता ग्राह्य नहीं होगा। फिर भी, यदि बोर्ड के कार्यालयीन काम के सिलसिले में, उन्हें देश के अंदर यात्रा करना अपेक्षित हूँतो, जिस ग्रेड से वे सेवानिवृत्त हुए थे, उसी ग्रेड के नियमित पदधारी के लिए ग्राह्य यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भुगतान किया जाएगा।
6. कार्य समय: लिपिकीय सहायक निर्धारितानुसार कार्यालय के साधारण कार्य समय का अनुसरण करेगा (अर्थात् सुबह 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक)। वृष्ण, अनिवार्य मामलों में, उनको समयबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए शनिवार और कार्यालय समय के बाद भी काम करना पड़ता है।
7. पेंशन का आहरण: लिपिकीय सहायक के रूप में नियुक्त एक सेवानिवृत्त अधिकारी लिपिकीय सहायक के रूप में के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान पेंशन और पेंशन पर महंगाई राहत आहरित करना जारी रखेगा। लिपिकीय सहायक के रूप में उनकी नियुक्ति को पुनर्नियोजन मामले के रूप में नहीं माना जाएगा।
8. अवकाश: यथानुपात आधार पर लिपिकीय सहायक एक कलेंडर वर्ष बारह (12) दिनों के अवकाश के लिए पात्र होंगे। लिपिकीय सहायकों को अनुमेय अवकाश की अधिकता में अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, अनुपयुक्त अवकाश को न अगले वर्ष के लिए अग्रणीत किया जाएगा, न ही उसका नकदीकरण किया जाएगा।
9. स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस): ग्राह्य के अनुसार, टीडीएस को लिपिकीय सहायक के मासिक पारिश्रमिक से काट दिया जाएगा। मांग करने पर, बोर्ड द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

10. स्पाइसेस बोर्ड के साथ उनके कार्य की अवधि के दौरान और उसके बाद भी, यह संभावना है कि वे महत्वपूर्ण / गोपनीय प्रकृति की कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने कार्य की अवधि के दौरान उनके द्वारा एकत्रित की गई कोई भी जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति से प्रकट नहीं करेंगे, जो उसे जानने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है।

11. स्पाइसेस बोर्ड, जरूरत पड़ने पर, कोई नोटिस जारी किए बिना या कोई कारण बताए बिना, चयन प्रक्रिया को संशोधित / परिवर्तित / प्रतिबंधित / बढ़ाने / रद्द करने का अधिकार रखता है। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और इस मुद्दे के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. नियुक्ति का समापन:

स्पाइसेस बोर्ड निम्नलिखित स्थितियों में लिपिकीय सहायकों की नियुक्ति समाप्त करेगा:

(क) लिपिकीय सहायक निर्दिष्ट कार्य करने में असमर्थ है।

(ख) कार्य की गुणवत्ता बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है।

(ग) बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार लक्ष्यों की समय पर उपलब्ध कराने में लिपिकीय सहायक विफल रहता है।

(घ) लिपिकीय सहायकों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का अभाव पाया जाता है।

नोट: बोर्ड को पास लिपिकीय सहायक को पंद्रह (15) दिनों की लिखित सूचना प्रदान करते हुए नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार रखता है। यह समाप्ति, ऐसी सूचना की सुपुर्दगी के पंद्रह (15) दिनों के पूरा होने के बाद ठीक अगले दिन से प्रभावी होगी।

.....